पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान संबंधित याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित किया

लखनऊ: 4 नवम्बर, 2015

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूति डी0वाई0 चन्द्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति एस0एन0 शुक्ला की खण्डपीठ ने प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा राष्ट्रगान रूकवाये जाने संबंधित याचिका में राज्यपाल की प्रमुख सचिव को अधिवक्ता विनोद कुमार, पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ द्वारा विपक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक तथा अनावश्यक मानते हुए अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने याची को कोई अनुतोष देने से मना कर दिया है तथा इस बात की छूट दी है कि याची चाहे तो राष्ट्रगान के गायन आदि के संबंध में दिशा-निर्देश तय करने के लिए अपना प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दे सकते हैं।